

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-20/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० सुधांशु कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ द्वारा चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-29.06.2024 से 04.12.2024 तक कुल-159 (एक सौ उनसठ) दिनों का वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-966(25) दिनांक-08.05.2025 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के आलोक में रूपान्तरित अवकाश (318 दिन के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त स्वीकृति के पश्चात डा० कुमार के खाते में कुल-142 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश शेष रहेगा।

3. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-20/2025- 415(2) पटना, दिनांक 20/2 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/डा० सुधांशु कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Yndam K 18/2/26
सरकार के उप सचिव।
2